दिनांक 17/8/16 को पेश हो। इतला जिलनेपर
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व
किस्म को पेश हो। [signature]

17/8/16 वकील फरीकेन उप० । 490 लाल अवकाश पर
पत्रावली पेश हो। पूर्वानुसार वास्ते आदेश रिजर्व
25/8/16 को पेश हो। [signature]

25/8/16 वकील फरीकेन उप० । वकील प्रार्थीगण का
प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है
कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वज
मंगला के समय की है और पुश्तैनी है। संयुक्त
हिन्दू परिवार की एवं शामलाती जमीने है। वही
उसका लड़का रामकिशन था जो गोद चला गया
में रामकिशोर के गोद चला गया। उसने हसनपुर
की खानदानी त्याग दी और उसका विवादित
आराजीयात से कोई ताल्लुकात नहीं रहा है
ना ही काबिज है, इसलिए गोद जाने के कारण
उसको इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है।
प्रार्थीगण के पिता फौत हो चुके है। प्रार्थीगण के
पिता तीन भाई थे, दुर्गालाल, रामस्वरूप व बाबूलाल।
बाबूलाल व रामस्वरूप ने मिलकर गलत तरीके
से विवादित आराजीयात की खातेदारी का इन्द्राज
जमाबंदी में हमसे छिपाते हुए अपने नाम करा लिया
है और पूरी जमीन को हड़पना चाहते है। अप्रार्थीगण
ने यह सालिया कहा है कि जमीन पूरी हमने बलात
के नाम करा ली है, तुम्हारा इन जमीनों से कोई
ताल्लुक नहीं है। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण ने
अपने हिस्से की आराजी अपने नाम कराने हेतु
कहा तो झगड़े पर हो गये और कहा कि तुम्हें
इस खाते इन जमीनों से बेदखल करेंगे और

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

श्रीमान के स्टे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं
प्रार्थीगण अपने हिस्से की काश्त करने हेतु पूरा-
पूरा अधिकार है अप्रार्थीगण ताकत के बल
पर हमेशा काश्त करने में रुकावट डालते रहते हैं।
इसलिए हमारे अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायहित
में विवादित आराजी मालपर इन्तजाम करने
के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक
है जिससे प्रार्थीगण के हक प्रभावित हो सके।
इसलिए रिसीवर नियुक्त करने के आदेश
फरमावे।

अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण का
विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है
ना ही काबिज है वह ही भातृका साबिक
समबिका के गोद नहीं गया था। रामकिशन
वही का एक मात्र पुत्र होने से गोद देने का मौका
होने का कोई प्रावधान नहीं है रामकिशन है कि
हमने स्टाम्प शामिल करके अपना गुजारा करता
रहा है रामकिशन से मूल सोसेरामनी की
सम्मिलित नहीं आयी है। रामकिशन ने
अपने हिस्से की आराजीयात को स्वयं कृषि
दत्तक पुत्र मुखिया को अपने जीवनकाल में
बेच दी थी तभी से रामस्वरूप भी अपने कब्जे पर
कब्जे में 1, 3, 4 वर्षों से खातेदार काबिज
है रामकिशन आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार
नहीं बनाया गया है बाबूलाल व रामस्वरूप
की खातेदारी इन्द्राज कानूनन सही हुई है
प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात
खड़मादी पदीन कायम्खां निवासी सोसेरामजी को
जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दी है। उक्त आपका
रिहायशी मकान व प्लाट सोसेराम की भी राजस्व
पटिल कालसा को विक्रय कर दिये गये है सोसेराम
ने अपनी खरीदशुदा जमीन को हटाकर करौली
कुन्तिल रुपये हड़पने लगा गये। हमने स्टे
के आदेश की कोई अवहेलना नहीं की है हम
अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है भूमि हमारी
पर गलत पत्र रिसीवर पेश किया है

58/5
उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | हुक्म या कार्यवाही मय इशारात जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18/01

प्रार्थना रिसीवर जो खारिज होने योग्य है। रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि रिसीवर नियुक्त होने से हम अप्रार्थीगण के हकूक पर कठोर आघात है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत कास्नी रिसीवर प्रार्थीगण का खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा जिसमें प्रार्थीगण अशोक वगैरा द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात का बेचान किया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा रहा है, ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है जो लायक सबूत के आधार पर तय किया जावेगा। अप्रार्थीगण ने राम-किशन का गोद जाना अंकित किया है, जबकि रामकिशन बड़ी काश्तकार बालिग होने पर गोद देने या गोद लेने का कानूनन प्रावधान नहीं है, रामकिशन के गोद जाने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत कास्नी रिसीवर खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत कास्नी रिसीवर खारिज किया जाता है। निर्णय हाजा खुलासा सुनाया गया। पत्रावली केस अड्डमार होकर नत्थी मिसल के तौर शामिल रहे हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली